

महोदयजी,

रिपोर्ट पटवारी हल्का उमाजी का खेड़ा

निवेदन है कि ग्राम रुपनाथपुर में खाता संख्या 39 में पार्सी के पिता परसराम पुत्र देवीलाल कराड के नाम की दोहरी प्रविष्टि है। मीतबिलानों में जानकारी करने पर बाहिर बाबा कि परसराम पुत्र देवीलाल कराड नाम का ग्राम में एक ही व्यक्ति है। अतः उस दोनो नाम को एक किया जाना उचित है।  
परसराम पुत्र देवीलाल का हिस्सा  $\frac{1}{8}$  व  $\frac{1}{56}$  के बजाय  $\frac{1}{7}$  किया जाना उचित है।

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त <sup>पु. ग. उमाजी का खेड़ा</sup> तह. बिजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा

महोदयजी,

निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी विस्तृत एवं लकी है। रिपोर्ट अनुसार दोहरी प्रविष्टि को छुट्ट कर एक किया जाना उचित है। आदेशाचार्य रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

रिपोर्ट तहसीलदार, बिजौलियाँ  
कमांडा राजस्व केम्प/25/5  
महोदयजी,  
दिनांक 22.12.2025  
उमाजी का खेड़ा  
22/12/2025

निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी उमाजी का खेड़ा, जंम्य भू.अ.मि. उमाजी का खेड़ा व कालंगन दस्तावेजों अनुसार ग्राम रुपनाथपुर के खाता सं. 39 में परसराम पुत्र देवीलाल कराड हिस्सा  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{56}$  के दोहरी प्रविष्टि के स्थान पर परसराम पुत्र देवीलाल कराड हिस्सा  $\frac{1}{7}$  दर्ज करने के अनुसंधान की उपलब्धि है।

आदेश

तहसीलदार  
केम्प उमाजी का खेड़ा  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

पार्सी स्वयं के प्रार्थना पर, संलग्न दस्तावेजों, पटवारी का उमाजी का खेड़ा, भू-मन्त्रि. उमाजी का खेड़ा तहसीलदार बिजौलियाँ की जांच रिपोर्ट के आधार पर पार्सी परसराम पुत्री देवीलाल कराड का हिस्सा  $\frac{1}{8} + \frac{1}{56} = \frac{1}{7}$  हिस्सा के स्थान पर  $\frac{1}{7}$  दर्ज करने के आदेश जारी किए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
दिनांक 22.12.2025  
उमाजी का खेड़ा



राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
 कैम्प कोर्ट का स्थान उमड़ी वा. खेड़ा

**-:आदेश:-**

उमड़ी वा. खेड़ा प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमड़ी वा. खेड़ा व भू.अ.नि. रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजयपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रुखवाड़ा तहसील विजयपुर जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 39 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	रुखवाड़ा	39	परलराम पु देवीलाल हिस्सा 1/8 + 1/8	हिस्सा 1/7 =

3  
 (उमड़ी सिंह रावड़ा)  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा.कलक्टर, विजयपुर

कमांक :- 07/25

दिनांक :- 22/12/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, विजयपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री परलराम पु देवीलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

हिस्सा = 1/7

3  
 (उमड़ी सिंह रावड़ा)  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा.कलक्टर, विजयपुर